



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240909  
CG-DL-E-09122022-240909

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5507]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 5507]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5743(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561अ के 27.970 कि.मी. से 38.775 कि.मी. (अहमदनगर-करमाळा-टेम्भूर्णी सेक्शन एन.एच. 561अ) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने, दो/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निचे अनुसूची में गया है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्किस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा, को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुद्घात कर सकेगा या अननुद्घात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस

अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भूरेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561 अ के 27.970 कि.मी. से 38.775 कि.मी. (अहमदनगर-करमाळा-तेम्भूर्णी सेक्शन एन.एच. 561अ) तक के भूखंड के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अहमदनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: श्रीगोंदा					
गांव का नाम: बानपिंप्री					
1	178	निजी	कृषि	0.0217000(हेक्टेयर)	0.0217000
गांव का नाम: घोगरगांव					
1	540/2	निजी	कृषि	0.0518000(हेक्टेयर)	0.0518000
कुल				0.0735	0.0735

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2022

**S.O. 5743(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening, two/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No. 561A**, in the stretch of land from Km. 27.970 to Km. 38.775 (**Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH 561A**) in the **district of Ahmednagar in the State of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Sub Divisional Officer, Shrigonda** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 27.970 to Km. 38.775 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH 561A) of National Highway No. 561A in the District Ahmednagar in the State of Maharashtra.**

State: MAHARASHTRA		District: AHMEDNAGAR			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Shrigonda</b>					
<b>Village: Banpimpri</b>					
1	178	Private	Agriculture	0.0217000(Hectare )	0.0217000
<b>Village: Ghogargaon</b>					
1	540/2	Private	Agriculture	0.0518000(Hectare )	0.0518000
<b>Total</b>				<b>0.0735</b>	<b>0.0735</b>

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3A2]

RAJESH GUPTA, Director